निग/2724/II/15

58

न्यायालय श्रीमान प्रशासकीय सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

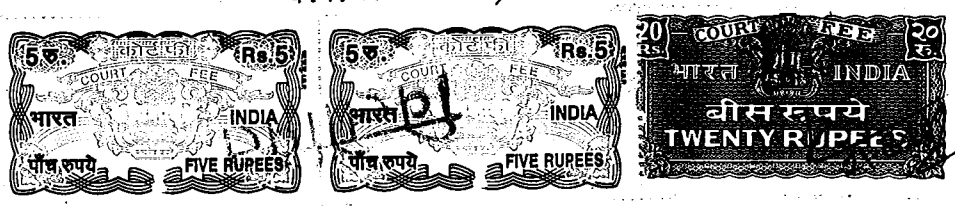

5रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

20 रु. COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

रामेश्वर पिता श्री अवसेरी पटेल उम्र 50 वर्ष, निवासी ग्राम पटपरा, तहसील चुरहट, थाना कमर्जी, जिला सीधी म0प्र0 ------------ निगरानीकर्ता

बनाम

1- श्री रविप्रकाश सिंह पिता श्री धनी सिंह, निवासी ग्राम पटपरा, तहसील चुरहट, जिला सीधी म0प्र0,

2- शासन म0प्र0 - ----- गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध आदेश माननीय न्यायालय तहसीलदार, तहसील चुरहट, जिला सीधी म0प्र0 का प्रकरण क्र. 10/अ-12/2014-15, व आदेश दिनांक 27.6.2015, अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 ई.।

श्री .... द्वारा आज दि. 21.8.15 को प्रस्तुत
रीडर ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

21/8/15

===================================

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है:-

1:- यह कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2:- यह कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गैर निगरानीकर्ता ने शासन म0प्र0 को पक्षकार बनाकर सीमांकन का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमे निगरानीकर्ता को कोई सूचना नही दी गई है, निगरानीकर्ता सरहद्दी काश्तकार है, जो विधिक एवं आवश्यक पक्षकार है। नक्शा प्लाट मे नम्बरों के अवलोकन से स्पष्ट होता है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय के आदेशानुसार सीमांकन की कार्यवाही मे गैरनिगरानीकर्ता द्वारा आवेदक को सूचना न देकर कानूनी भूल की

21.8.15

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-2724/II/15 .... जिला सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9.9.15	प्रकरण में आवेदक अभि० श्री के०के० द्विवेदी उपस्थित। उन्हें प्रकरण में सुना गया। आवेदक अभि० द्वारा अपने तर्क में बताया गया कि अनावेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में सीमांकन का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत आवेदन पत्र पर किये गये सीमांकन कार्यवाही की सूचना आवेदक एवं सरहदी काश्तकारों को नहीं दी गई और न ही सीमांकन कार्यवाही में उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र जारी किया गया। इसके अति० वही तर्क प्रस्तुत किये जो निगरानी मेमो में वर्णित है जिन्हें यहां उल्लेखित न कर विचार में लिया जावेगा। उक्त प्रस्तुत तर्कों के क्रम में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों का अवलोकन किया गया जिनके अवलोकन से उक्त प्रस्तुत तर्कों की पुष्टि होती है। प्रकरण में सरहदी कृषकों एवं आवेदक को सूचना पत्र व्यक्तिगत रूप से जारी होना नहीं पाया गया। उपरोक्त स्थिति से यह स्पष्ट है कि संहिता की धारा 129 में निहित प्रावधानों का पालन नहीं किया गया और न ही नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुक्रम में तदनुसार न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप सीमांकन की कार्यवाही की गई है। अतः पूर्व सीमांकन संबंधी आदेश	

[कृ. प. उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	दिनांक 27-6-15 की कार्यवाही स्थगित की जाती है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि उभय पक्षों को तथा सरहदी कृषकों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पटवारी अभिलेख के अनुसार पुनः सीमांकन की कार्यवाही 3 माह में करें। उक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।	
	सदस्य	